**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा)**: (क) जी हां, श्रीमन् । तथापि यह मेला लोक सभा के माननीय सदस्य प्रो. डी. पी. यादव के नेतृत्व में विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी अभिकरणों की सहायता से सफीयाबाद, मुंगेर जिला (बिहार) में आयोजित किया गया था ।

(ख) जी हां, श्रीमन् । सरसों की दो उन्नत किस्में अर्थात् पूसा बोल्ड तथा पूसा बारानी का, जिनकी उत्पादन क्षमता 22-25 क्विंटल प्रति हैक्टर है, मेले में प्रदर्शन किया गया था । दालों की पांच प्रमुख फसलों यानि चना (पूसा-240 तथा पूसा 256) ; मटर (डी एम आर-।।) ; मसूर (एल-4076 तथा एल 830) ; मूंग (पी एस-16) ; तथा अरहर (पूसा 84) की सात उन्नत किस्मों का भी मेले में प्रदर्शन किया गया था जिनकी उत्पादन क्षमता 10-25 क्विंटल प्रति हैक्टर है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमन् ।

(घ) जी हां, श्रीमन् । प्रमुख खरपतवारों की खर-पतवार नियंत्रण की नियन्त्रण प्रौद्योगिकी जैसे कानटेली (सेरीलियम अरवेन्स), बथुआ (चेनोपॉडियम अलबम) बन्दराबन्दरी (फलारिस माइनर) तथा विल्डऑट्स (अवेना स्प.) का प्रदर्शन किया गया था तथा किसान गोष्ठी में इन पर विचार विमर्श किया गया था ।

(ङ) जी नहीं, श्रीमन् ।

(च) जी हां, श्रीमन्

## पावर टिलर्स

1266. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्रालय के अधीन कोई यांत्रिकी विभाग काम कर रहा है, यदि हां, तो इसके मुख्य मुख्य कार्य क्या हैं और इस पर कुल कितना वार्षिक खर्च हो रहा है ;

(ख) क्या इस विभाग ने पावर टिलर्स के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त की है और क्या इनकी उपयोगिता और कीमत किसानों के हित में है ;

(ग) क्या इस विभाग ने देश के विभिन्न भागों में चल रहे विभिन्न प्रकार के पंपिंग सेटों के संबंध में कोई अनुसंधान किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह मशीनरी सरलता से और सस्ती कीमतों पर किसानों को उपलब्ध हो, इस विभाग ने क्या कदम उठाये हैं और क्या इस विभाग को पावर टिलर्स के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है ; और

(घ) क्या यह सच है कि किसान इन पावर टिलर्स का जोतने, सिंचाई, छिड़काव, गाहने और ढुलाई आदि के कार्य में सरलता से उपयोग कर सकता है और यदि हां, तो इसके प्रचार और प्रसार में क्या बाधाएं हैं, और यदि नहीं, तो किसानों में इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा)**: (क) कृषि और सहकारिता विभाग के अन्तर्गत कृषि उपकरण और मशीनरी प्रभाग के केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों के अधीन इंजीनियरिंग संस्थाएं हैं जिनका परिसीमित उद्देश्य कृषि मशीनों के कार्यनिष्पादन के गुणों का परीक्षण करना तथा उनको चलाने, उनकी मरम्मत एवं रख-रखाव में प्रशिक्षण देना है । यह प्रभाग उन्नत कृषि उपकरणों तथा मशीनरी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये जिम्मेदार है । इस प्रभाग के अधीन योजनाओं पर 1985-86 में कुल 248.07 लाख रुपये का खर्च हुआ है ।

(ख) केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, बुदनी ने देश में निर्मित पावर--टिलर्स के कार्य-निष्पादन संबंधी परीक्षण किए हैं और उन्हें संतोषजनक पाया है । पावर टिलर्स की लोकप्रियता बढ़ती रही है जो कि उनकी बिक्री से सिद्ध होता है जो 1983-84 के 2901 से बढ़कर 1985-86 में 3754 हो गई ।

पावर-टिलर्स 6-12 हार्स पावर तक उपलब्ध हैं तथा उनकी कीमतें 20,000 रुपये से 35,500 रुपये के बीच भिन्न-भिन्न हैं । वे खास तौर पर छोटी जोतों वाले किसानों की जरूरतों के अनुकूल होते हैं ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की (1) कूओं तथा पंपों के जरिए भू-जल का अनुकूलतम प्रयोग और (2) मुकाबले के उपकरणों के विकास के लिये पावर टिलर्स संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनायें हैं ।

देश में पंप-सेटों तथा पावर टिलर्स के लिये पर्याप्त निर्माण क्षमता सृजित की गई है । वे बाजार में सरलता से उपलब्ध हैं ।

(घ) जी, हां । पावर टिलर्स का हल चलाने, सिंचाई, छिड़काव, अनाज को भूसी से अलग करने तथा ढुलाई के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है ।

चूंकि पावर टिलर्स धान की खेती के लिये अधिक उपयोगी हैं, इसलिये असम राज्य में 10,000/- रुपये प्रति यूनिट राज सहायता शुरू की गई है ।

**Acquisition of land by the DDA in village Gharauli**

1267. SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI SURAJ PRASAD:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the DDA had acquired land measuring about 2680 bighas in 1983-84 in village Gharauli, thana Kalyanpur, East Delhi;

(b) whether the land was acquired at Rs. 10 per sq. yd. and the compensation has been paid to the villagers;

(c) whether it is a fact that unauthorised constructions have come up on this land;

(d) whether Government's attention has been drawn to a news item published in the Nav Bharat Times (Delhi) of 2nd February, 1987 to this effect; and

(e) if so, what are the details thereof and what steps are proposed to be taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) The Delhi Administration has acquired only 2257 bighas 16 biswas of land in village Gharauli in the year 1983-84 *vide* Award No. 18/83-84.

(b) The market value of the land was assessed at Rs. 4/- to Rs. 9/- per sq. yd. besides solatium and 12 per cent u/s 23(IA) as additional financial benefit under Land Acquisition Act. The average Compensation comes to Rs. 14,432/- per bigha. The Compensation is paid to the rightful owners of the acquired land under the Land Acquisition Act on receipt of claims from the applicants. In this case, the compensation has been paid where the claimante had applied. Rest of the compensation is lying in Revenue Deposit and will be paid to the claimants as and when they apply for compensation provided there is no dispute.

(c) At the time of acquisition only 20 bighas of land was built up and its possession could not be taken by Delhi Administration. Further, unauthorised construction in the shape of Gharauli Extension Colony on about 70/80 bighas of this land is also reported to have come up since 1983. However, no unauthorised construction on this land is being done at present.

(d) Yes, Sir.

(e) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

**Amendment in the Urban Land (Ceiling) and (regulation) Act, 1976**

1268. SHRI SHANKARRAO NARAYANARAO DESHMUKH: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to amend the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 to provide for the